| | |
|---|---|
| 30/4/25. | पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता अप्रयपस हाजिर है। प्रतिवादी सं. 2 एवं 9 के समन पुनः इस अभियुक्ति के साथ लौटे हैं कि 'प्राप्तकर्ता इस पते पर नहीं रहता है'। न्यायालय द्वारा दिनांक 24/7/24 को प्रार्थी को आदेशित किया गया था कि अप्रार्थीगणों के सही पते के साथ समन के लिए |

[stamp illegible] जयपुर शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

रामधन बनाम अन्नीडवी

वाद - 39122

| क आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे।<br>न्यायालय आदेश के उपरान्त भी प्रार्थी अप्रार्थीगणों के सही रजिस्टर्ड पता पेश करने में विफल रहा है।<br>आदेश 39 नियम 3-A, सि० प्र० सं० के प्रावधान के अनुसार इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2015 को बिना समुचित कारण के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।<br>आदेश दिनांक 10.07.2015 को जारी हुए लगभग 09वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।<br>न्यायालय द्वारा बार-बार आदेशित किए जाने के उपरान्त | |

अपर जिला जज
पूर्वी शहर प्रयाग

उपायुक्त कालवा
जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय ... राधचन्द बनाम ग्रुलीडिबी

केस संख्या प- 39/14

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
|---|---|---|
| | 30/4/15 | भी प्रार्थी द्वारा सही पते पर, रजिस्टर्ड तलबाना पेश नहीं किया गया है। इसलिए आदेश दिनांक 10.07.2015 को आगे बढ़ाए जाने का औचित्य शेष नहीं होने से न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 10.07.2015 को discontinue किया जाता है। चूंकि मूलवाद में न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से आदेश 6 नियम 14 क (5) सि० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही रोकी गयी है। अतः इस पत्रावली में भी तद्नुसार कार्यवाही रोकी जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। |

उपायुक्त कालवा
जयपुर शहर प्रथम